फोन, व्हाट्सअप या ई-मेल से शिकायत की दी गई सुविधा, सड़क मरम्मत की नीति ओपीआरएमसी में किया गया प्रावधान

सड़क पर गड्ढे हों तो करें शिकायत, 14 दिन में होगा दुरुस्त

हिन्दुस्तान **खास**

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

सड़क में गड्ढा हो तो आप फोन करें, पथ निर्माण विभाग अधिकतम 14 दिनों में उसे दुरुस्त करवाएगा। सड़क मरम्मत के लिए बनी नीति आउटपुट परफार्मेंस बेस्ड रोड मेंटिनेंस कांट्रैक्ट - ओपीआरएमसी फेज दो में यह प्रावधान किया गया है। शिकायत करने के लिए पथ निर्माण विभाग ने फोन नंबर, व्हाट्सअप और ई-मेल की सुविधा दी है।राज्य में सड़कों की गुणवत्ता बेहतर बनाए रखने के लिए पथ निर्माण ने आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। एजेंसी, विभागीय इंजीनियर और थर्ड पार्टी जांच के साथ ही लोगों की भागीदारी भी सड़क को बेहतर बनाए रखने में हो, इसके लिए शिकायत प्रणाली विकसित की गई है। विभाग ने मुख्यालय में एक कॉल सेंटर बनाया है। कोई भी नागरिक टोल फ्री नंबर पर सड़क खराब होने की शिकायत कर सकता है। इसके अलावा विभाग ने व्हाट्सअप नंबर भी जारी किया है। अगर कोई चाहे तो वह ई-मेल या पथ निर्माण विभाग की वेबसाइट पर जाकर भी सड़कों के खराब होने की शिकायत कर सकता है।

इस पर करें शिकायत

टोल फ्री नंबर 18003456233
व्हाट्सअप 9470001346,
वेब : www. rcdbihar. in
ई-मेल:
complainroadmaintenance@gmail.com

सरकार रोड की मरम्मत पर 6654.27 करोड़ रुपये खर्च करेगी

एजेंसी पर नकेल कसने के लिए यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर महीने में दो शिकायत मिली और तय समय में उसे दुरुस्त नहीं किया गया तो संबंधित ठेकेदार का पैसा दो बार काटा जाएगा। गंभीर त्रुटियों की शिकायतों का निबटारा नहीं होने पर एजेंसियों की 40 फीसदी तक राशि काटी जा सकती है। उल्लेखनीय है कि पथ निर्माण विभाग ने ओपीआरएमसी-फेज दो के तहत 13 हजार 63.26 किलोमीटर सड़कों के रखरखाव करने का निर्णय लिया है। चरणवार सड़कों को इस नीति में शामिल किया जा रहा है। सरकार सड़कों की मरम्मत में 6654.27 करोड़ खर्च करेगी। सात साल तक सड़क खराब होने पर चयनित एजेंसी को ही उसे ठीक करना है।